



5-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर
वाड़ा करवाना उचित समझते हैं।

--:आदेश:-

अतः माफिक राजस्व रेकॉर्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण
स आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण
अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में वादी
व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे
काशत की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 103/5 रकबा 0.3480 हैक्टेयर किस्म
बाराणी दोयम हुई है। जिसमें वादी के हक हिस्सों का माफिक कब्जे काशत व
राजस्व रेकॉर्ड कृषि भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के
करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। तहसीलदार जैतारण को
निर्देश दिये जाते हैं कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काशतकारी (राजस्व
मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा
स्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी को पाबंद किया जाता है कि मौके पर उपस्थित
है। वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई
परिवर्तन नहीं करें। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार
जैतारण को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।


सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 26/09/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)